


राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्र मांक :- स. 3(5)(5)स्था./राजपत्रित/अभि./16/636-53 जयपुर, दिनांक : 03.11.2020

आदेश


गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश प.11(29)/गृह-10/2018 दिनांक 03.11.2020 द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत नवगठित विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 4, जयपुर एवं विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 2, जोधपुर में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार देने के निर्देश प्रदान किये हैं।

अतः विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 4, जयपुर का अतिरिक्त चार्ज श्री राजपाल सिंह राठौड़ सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो संख्या 1, जयपुर को एवं विशिष्ट न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या 2, जोधपुर का अतिरिक्त चार्ज श्री नन्दकिशोर सांखला, सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्रम संख्या 1, जोधपुर को दिया जाता है।


(राजेन्द्र कुमार सैनी)
निदेशक अभियोजन

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, महानिदेशक (एसीबी), राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि)
4. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, न्याय/अभियोजन
5. श्री राजपाल सिंह राठौड़, सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्रम संख्या 1, जयपुर को पालनार्थ।
6. श्री नन्दकिशोर सांखला, सहायक निदेशक अभियोजन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, क्रम संख्या 1, जोधपुर को पालनार्थ।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर